

नीलाम समिति की आख्या दिनांकित 06-01-2022

आज दिनांक 06.01.2022 को नीलाम समिति की बैठक मेरे विश्राम कक्ष में दोपहर 04-30 बजे आहूत की गयी। बैठक में समिति के सदस्य श्री सुशील कुमार -तृतीय अपर जिला एवं सज न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-04 बागपत एवं श्रीमती प्रगति सिंह, सिविल जज सी0 डि0 बागपत उपस्थित आये।


वित्त-पथ 2011 भण्डार का रखरखाव एवं निस्तारण के नियमों के अधीन माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदन आदेशानुसार निष्प्रयोज्य समाग्री की नीलामी कराये जाने हेतु 19-01-2022 की तिथि नियत की जाती है। नीलामी मे भाग लेने वाले व्यक्तियों को 5000/- रुपये का बैंक ड्राफ्ट/नगद केन्द्रीय नजारत अनुभाग मे जमा कराना होगा।


सूची मे वर्णित समाना 01 ता 67 तक निष्प्रयोज्य समाग्री की नीलामी करने की नीलाम/विक्रय समिति द्वारा संस्तुति के आधार पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वार निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। किसी प्रकार की जानकारी हेतु केन्द्रीय नजारत अनुभाग मे किसी कार्य दिवस मे जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


"जनपद न्यायालय बागपत मे टूटे फर्नीचर इत्यादि उपकरण की नीलामी जहां है और जिस अवस्था में है, के आधार पर होनी है। नीलामी हेतु बोली खुली अवस्था मे लगायी जायेगी। नीलामी की बोली नीलाम समिति के समक्ष दिनांक 19.01.2022 को सभागार कक्ष 01-30 बजे मे लगाई जायेगी। बोली छुटने के बाद अन्तिम बोलीदाता को नीलामी समस्त धनराशि तुरन्त जमा करानी होगी। और सभी समान दो कार्य दिवस मे उठाना होगा माल-भाडा, चुंगी इत्यादि सभी देयता यदि किसी प्रकार का है तो अन्तिम बोलीदाता की होगी। यदि किसी भी दशा मे बोली के बाद समान नही उठाये तो जमा धनराशि उ 0 प्र 0 राज्य सरकार के पक्ष मे जब्त कर ली जायेगा,,

केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि वे नीलामी की सूचना किसी स्थानीय समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन एवं सभी नोटिस बोर्ड पर पम्पलेट चस्पा कराये।

आख्या माननीय महोदय के अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


प्रगति सिंह
सदस्य /विक्रय समिति /
सिविल जज सीनियर डिवीजन
बागपत।


सुशील कुमार-तृतीय
सदस्य /विक्रय समिति /
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,
न्यायालय संख्या-04 बागपत।


शैलेन्द्र पाण्डेय
अध्यक्ष /विक्रय समिति/
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
विशेष (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
बागपत।

कार्यालय , केन्द्रीय नजारत अनुभाग जजी बागपत।


पत्रांक:-


/नजारत अनुभाग

दिनांक:-

उपरोक्त कोटेशन की सूचना हेतु निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0 ओ 0 नं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0 सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।
2. कार्यालय जनपद न्यायाधीश बागपत एवं कार्यालय जिलाधिकारी बागपत
3. कार्यालय तहसील सदर बागपत, बड़ौत, खेकड़ा
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत एवं जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पट
5. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईड/नेट पर अपलोड करने हेतु
6. केन्द्रीय नाजिर आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु


11/01/2022
District Judge
Baghat


अध्यक्ष विक्रय समिति/
विशेष अपर जिला एवं सज
न्यायाधीश (एस 0 सी0/एस 0 टी0 एक्ट)
बागपत